[2021] 11 एस. सी. आर. 432

मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड

वी.

मनोज गोएल

(2021 की आपराधिक अपील संख्या 1068)

08 अक्टूबर, 2021

[डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, विक्रम नाथ

और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 138 , 139 - एकल लेन-देन से उत्पन्न होने वाले समानांतर अभियोजन s.138 -

अनापत्ति-चेक का अनादर-दर्ज की गई शिकायतों का पहला सेट-समझौता पहली शिकायत लंबित, चेक जारी किए गए

समझौता विलेख के अनुसार दूसरी शिकायत भी दर्ज की गई यदि दोनों शिकायतों को आगे बढ़ाया जा सकता है

एक साथ-आयोजितः नहीं-एक निपटान समझौता मूल शिकायत को समाप्त कर देता है-निपटान समझौते की शर्तों का पालन न करना या उसके बाद जारी किए गए चेकों का अनादर कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म देता है-शिकायतों के दोनों सेटों के तहत अभियोजन की अनुमति देना अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होगा-पहली शिकायत रद्द कर दी गई-इसके अलावा, एकल न्यायाधीश ने आपराधिक शिकायत को इस प्राथमिक तर्क पर रद्द करने में गलती की कि समझौता विलेख के अनुसरण में जारी किए गए चेकों का दूसरा सेट दायित्व के निर्वहन में नहीं था-केवल यह तथ्य कि समझौता विलेख को चुनौती देने वाला मुकदमा दायर किया गया था, इसके तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना उचित नहीं होगा। s.482-यह तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे दरकिनार करने वाले उपयुक्त न्यायालय का आदेश पारित नहीं हो जाता-उच्च न्यायालय यू/के तहत धारणा के आयात पर ध्यान देने में विफल रहा। s.139 जिसे केवल मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विस्थापित किया जा सकता है-दूसरी शिकायत को रद्द करने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973। 482 - दंड संहिता, 1860 एस. एस. 409 , 506 (1) .

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881:

एस. 138 – सामग्री-चर्चा की गई।

एस. 138 – उद्देश्य-आयोजितः एस का प्राथमिक उद्देश्य। 138 शिकायतकर्ता को मुआवजा सुनिश्चित करना है-अधिनियम भी अनुमति देता है

शिकायत के लंबित रहने के दौरान और अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद भी, दोनों पक्षों को समझौता करना।

एस. 138 - अपराध की प्रकृति-के तहत आयोजितः यह अर्ध-आपराधिक है,

जबकि यह एक दीवानी गलती से उत्पन्न होता है, कानून हालांकि, कारावास या जुर्माने के रूप में आपराधिक दंड लगाता है।

एस. 139 – प्रमाण के बोझ के तहत अनुमान-चर्चा की गई।

आंशिक रूप से अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 समानांतर अभियोजन

अभियुक्त समझौता समझौते के कुछ लाभों के आधार पर समझौते के अनुसार जारी किए गए चेक का सम्मान करने में विफल रहा। एक बार पार्टियों ने स्वेच्छा से प्रवेश किया है ऐसे समझौते और निपटान समझौते के गैर-अनुपालन के परिणामों का पालन करने के लिए सहमत होने पर, उन्हें मूल शिकायत और ऐसे गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाली बाद की शिकायत दोनों का पीछा करके समझौते के प्रभावों को उलटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। निपटान समझौता मूल शिकायत को समाहित करता है। निपटान समझौते की शर्तों का पालन न करने या उसके बाद जारी किए गए चेकों का अनादर करने से एन. आई. अधिनियम की धारा 138 और नागरिक कानून और [2021] 11 एस. सी. आर. के तहत अन्य उपायों के तहत दायित्व को आकर्षित करने वाली कार्रवाई का एक नया कारण पैदा होगा।

आपराधिक कानून। एक विपरीत व्याख्या, जो शिकायतकर्ता को मूल शिकायत और निपटान समझौते से उत्पन्न होने वाले परिणामों दोनों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है, विरोधाभासी परिणाम देगी। सबसे पहले, यह अभियुक्त पर मुकदमा चलाने और दो अलग-अलग शिकायतों के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देगा, जो इसके सार में एक अंतर्निहित कानूनी दायित्व से उत्पन्न होती हैं। दूसरा, अभियुक्त को न केवल लेन-देन के मूल समझौते के उल्लंघन के लिए आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप चेक का पहला सेट जारी किया गया था, बल्कि समझौता विलेख के अनुसार जारी किए गए चेक भी। तीसरा, इसके बजाय मुकदमेबाजी को कम करने और धन की तेजी से वसूली सुनिश्चित करने के लिए, यह आपराधिक न्याय प्रणाली के बोझ को बढ़ाएगा जहां न्यायिक समय किसी अपराध का निर्णय लेने पर खर्च किया जा रहा है जो अनिवार्य रूप से निजी पक्षों को प्रभावित करने वाली दीवानी गलती की प्रकृति में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिकायतकर्ता को समानांतर कार्यवाही करने की अनुमति देना, एक मूल शिकायत के परिणामस्वरूप और दूसरा निपटान की शर्तों से उत्पन्न होना, निपटान और नए चेक जारी करने या मूल दायित्व के लिए किए गए किसी भी अन्य आंशिक भुगतान को अर्थहीन बना देगा। इस तरह की व्याख्या मामलों के निपटारे को हतोत्साहित करेगी क्योंकि

वे यथास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, और वास्तव में अदालत के समक्ष लंबे मुकदमे को बढ़ाते हैं। इस प्रकार, एक शिकायतकर्ता एक ही अंतर्निहित लेनदेन के लिए दो समानांतर अभियोजन का पीछा नहीं कर सकता है। एक बार पक्षकारों द्वारा एक निपटान समझौता किए जाने के बाद, मूल शिकायत में कार्यवाही को बनाए नहीं रखा जा सकता है और निपटान विलेख की शर्तों के तहत शिकायतकर्ता को कार्रवाई का एक नया कारण प्राप्त होता है। एक बार जब 12 मार्च 2013 के समझौता विलेख पर सहमति हो गई, तो मूल शिकायत इसे रद्द किया जाना चाहिए और पक्षों को निपटान समझौते के तहत कानून में उपलब्ध उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। [पारस 37-40,45] [456-H; 457-A, H; 458-A-H; 462-D-E]

रीः एन. आई. अधिनियम 1881 की धारा 138 के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई उच्चतम न्यायालय का निर्णय। 16 अप्रैल 2021 में सुओ मोटो रिट याचिका (सी. आर. एल.) इसके बाद 2020 का नंबर 2 आया।

ललित कुमार शर्मा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 5 एससीसी 638: [2008] 7 एस. सी. आर. 797-लागू नहीं होता है।

मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v. मनोज गोएल

अरुण कुमार बनाम। अनीता मिश्रा (2020) 16 एससीसी 118 -

संदर्भित किया गया।

2.1 निपटान समझौते से उत्पन्न होने वाली देयता

एक बार जब पक्षों के बीच एक समझौता समझौता हो जाता है, तो पक्ष समझौते की शर्तों से बाध्य होते हैं और इसके किसी भी उल्लंघन का परिणाम हो सकता है सिविल और आपराधिक कानून में परिणामी कार्रवाई। वर्तमान मामले में, चेक का पहला सेट जो कथित रूप से जारी किया गया था

एच. एस. एस. ए. के तहत दायित्व के निर्वहन का अपमान किया गया था। इसके बाद 12 मार्च 2013 को एक समझौता ज्ञापन किया गया। समझौते के विलेख को रुपये की राशि के भुगतान द्वारा आंशिक रूप से लागू किया गया था। 3 डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से करोड़

शिकायतकर्ता। रुपये की राशि की प्राप्ति पर। 3 गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को 'एमजी' की जमानत याचिका पर अपनी कोई आपत्ति नहीं देनी थी। एम. जी. 'ने रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का बीड़ा उठाया। 7 तीन महीने के भीतर किश्तों में करोड़। चेकों का दूसरा सेट

समझौते के विलेख के अनुसार जारी किए गए दस्तावेज़ का भी अपमान किया गया था। [पारस 46,47] [462-ई-एच]

2.2 एक बार एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के अवयवों को पूरा करने के बाद, क़ानून स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि "ऐसे व्यक्ति को अपराध किया हुआ माना जाएगा"। अतः एक बार

धारा 138 के घटकों को पूरा किया जाता है, विचाराधीन चेक के अपमान के संबंध में एक अलग अपराध उत्पन्न होता है। एकल न्यायाधीश के लिए यह निष्कर्ष निकालने का कोई आधार नहीं था, विशेष रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका की सुनवाई के दौरान कि समझौते के विलेख के अनुसरण में जारी किए गए चेक के दूसरे सेट को दायित्व के निर्वहन के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह सवाल कि क्या देयता मौजूद है या नहीं, स्पष्ट रूप से परीक्षण का विषय है। एकल न्यायाधीश की ओर से धारा 482 के तहत याचिका को इस आधार पर अभियोजन को रद्द करने की अनुमति देने में एक गंभीर त्रुटि थी कि समझौते का विलेख कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व का गठन नहीं करेगा। केवल यह तथ्य कि समझौता विलेख की वैधता को चुनौती देने वाला मुकदमा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, धारा 138 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई ठोस आधार प्रदान नहीं करेगा। एक निपटान समझौता मूल शिकायत को समाप्त कर देता है और इस प्रकार, यह पक्षकारों, या तो शिकायतकर्ता या अभियुक्त पर निर्भर नहीं है कि वे केवल [2021] 11 एस. सी. आर. के प्रभावों को उलट दें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वह समझौता और एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत उसी अंतर्निहित लेनदेन से संबंधित मूल शिकायत का निवारण।

समझौता विलेख का उल्लंघन उन चेकों के अपमान के कारण हुआ है जो अभियुक्तों द्वारा रुपये की शेष राशि के निर्वहन के लिए जारी किए गए थे। 7 करोड़। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय के लिए धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करना बहुत दूर की बात थी। एन. आई. अधिनियम की धारा 139 इस धारणा को उठाती है,

जब तक कि इसके विपरीत यह साबित नहीं हो जाता है कि चेक धारक को धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त होता है।

किसी भी ऋण या अन्य दायित्व का पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन। धारा 139 इस धारणा को उठाती है "जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए।" एक बार जब शिकायतकर्ता यह साबित करने का भार वहन करता है कि

यह निर्धारित करना कि क्या निपटान समझौते के अनुसार कोई चेक कानूनी दायित्व से उत्पन्न होता है, विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि अंतर्निहित निपटान समझौता, मूल लेन-देन की प्रकृति और क्या मूल शिकायत, अभियुक्त द्वारा उठाए गए बचाव आदि में दायित्व के निष्कर्ष पर निर्णय लिया गया था। एकल न्यायाधीश अंदर था

एक प्राथमिक तर्क पर आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए आगे बढ़ने में त्रुटि कि चेक का दूसरा सेट जारी किया गया

समझौता विलेख दायित्व के निर्वहन में नहीं था और उस आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए कार्यवाही की गई थी। केवल यह तथ्य कि समझौते के विलेख को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया है, धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए कोई औचित्य प्रस्तुत नहीं करेगा। समझौता विलेख तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे दरकिनार करने वाली उपयुक्त अदालत की डिक्री पारित नहीं हो जाती। उच्च न्यायालय इस धारणा के सही अर्थ और महत्व पर ध्यान देने में विफल रहा

धारा 139 के तहत जिसे केवल मुकदमे में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विस्थापित किया जा सकता है। शिकायत सी. सी. नं. 389/2017 को रद्द करने वाले एकल न्यायाधीश के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है।

2012 की शिकायत सी. सी. Nos.3326-3329 और 2 की सी. सी. Nos.99-101 को रद्द कर दिया गया है। [पैरा 48,50,51,53 और 55] [463-सी-एफ; 464-ई 465-ए-बी; 466-डी-एच; 467-ए, डी-ई]

के भास्करन बनाम। शंकरन वैद्यन बालन (1999) 7 एससीसी

510 : [1999] 3 पूरक। एस. सी. आर. 271; पी. मोहनराज और अन्य

वी. शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (2021) 6 एससीसी

(2018) 1 एससीसी 560 [2017] 10 एससीआर 66; दामोदर एस प्रभु बनाम। सैयद बाबालाल (2010) 5 एस. सी. सी. 663: [2010] 5

एससीआर 678; आर. विजयन बनाम। बेबी (2012) 1 एससीसी 260: [2011]

14 एससीआर 712; एचएमटी वॉचेस लिमिटेड बनाम। एम. ए. आबिदा (2015)

11 एससीसी 776 [2015] 3 एससीआर 719; सैम्पेली

सत्यनारायण राव बनाम। भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा

विकास एजेंसी लिमिटेड (2016) 10 एस. सी. सी. 458 [2016]

6 एस. सी. आर. 531; कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम। शर्मा कार्पेट्स (2009)

2 एससीसी 513: [2008] 17 एससीआर 572; किशन राव बनाम।

शंकरगौड़ा (2018) 8 एससीसी 165: [2018] 5 एससीआर 69

-

पर भरोसा किया।

प्रकाश गुप्ता बनाम। एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 485 संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[1999] 3 पूरक। एससीआर 271

उस पर भरोसा करें

पै

रा 26

(2021) 6 एस. सी. सी. 258

उस पर भरोसा करें

पै

रा 27

[2017] 10 एससीआर 66

उस पर भरोसा करें

पै

रा 28

[2010] 5 एससीआर 678

उस पर भरोसा करें

पै

रा 29

[2011] 14 एससीआर 712

उस पर भरोसा करें

पै

रा 37

[2008] 7 एससीआर 797

अप्रयोज्य रखा गया

पै

रा 41

(2020) 16 एससीसी 118

संदर्भित किया गया है

पै

रा 41

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील

1068 2021 से।

उच्च न्यायालय के 10.04.2019 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2 की आपराधिक मूल याचिका No.25398 में मद्रास में न्यायपालिका

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1069-1075 2021 से।

1] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

वी. गिरि, जयंत भूषण, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री लिज़ मैथ्यू, सुश्री अंकिता

गांधी, श्रीरंग वर्मा, नवनीत आर., सुश्री सोनाली जैन, सुश्री वसुधा जैन, दिवाकर माहेश्वरी, करुण मेहता, श्रेयस एडुपुगंती, अमर्त्य

भूषण, तुषार भूषण, केतन पॉल, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि।

..... 3 *

B पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ।

..... 12 *

एस विश्लेषण।

..... 15 *

..... 15 *

ग. 2 निपटान समझौते से उत्पन्न देयता। 33 *

...

निष्कर्ष।

..40 *

एक तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

1. अपीलों का यह समूह 10 तारीख के एक फैसले से उत्पन्न हुआ है।

मद्रास में उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश की अप्रैल 2019 की कार्यवाही, जिसके द्वारा चेन्नई में सातवें महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत की फाइल पर लंबित परक्राम्य लिखत अधिनियम 18812 की धारा

138 के तहत एक शिकायत में कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था। एकल न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र को दंड संहिता की धारा 482 के तहत लागू किया गया था।

प्रक्रिया 1973 3.

2. 17 और 27 अप्रैल 2012 को, अपीलार्थी ने तीन उच्च न्यायालयों में प्रवेश किया

आंचल सीमेंट लिमिटेड के साथ समुद्री बिक्री समझौते। एसीएल के अनुरोध पर, अपीलार्थी ने रुपये की राशि का भुगतान किया। 6. 96 करोड़ (रु. 6,96,74,666 / -) सीमा शुल्क के रूप में और रु। 8.04 करोड़ (रु। 8,04,12,495 / -) एसीएल की ओर से माल को साफ करने के लिए घाट शुल्क के रूप में, जिसने कथित रूप से ब्याज के साथ राशि का भुगतान करने का वादा किया है। यह आरोप लगाया गया है कि हालांकि अपीलार्थी ने माल की आपूर्ति की, लेकिन एसीएल सामान बनाने में विफल रहा।

भुगतान। 6 अगस्त 2012 को एसीएल ने 8 अगस्त को 18 चेक जारी किए। 2012 , रुपये के कुल मूल्य के लिए Rs.50 लाख की प्रत्येक राशि। 9 करोड़

एड। नोट-"मूल निर्णय में वास्तविक पृष्ठांकन को दर्शाता है। 2017 का 1 सीसी सं. 389

3 " सीआरपीसी " 4 " एचएसएसए "

" ए. सी. एल. मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v. मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

बकाया दायित्व के आंशिक भुगतान में अपीलार्थी के पक्ष में। 21 अगस्त 2012 को, 18 चेकों को एक समर्थन के साथ प्रस्तुत करने पर अपमानित किया गया थाः " दराज़ "/" अपर्याप्त धन "के कारण भुगतान बंद हो गया। अपीलार्थी द्वारा 10 सितंबर 2012 को पुलिस आयुक्त, एग्मोर, चेन्नई में एसीएल और उसके निदेशकों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 18606 की धारा 409 और 506 (1) के तहत अपराधों के लिए शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे केंद्रीय अपराध में एक प्राथमिकी के रूप में दर्ज किया गया था।

1 फरवरी 2013 को 2013 के अपराध No.21 के रूप में शाखा। 22 के बीच

सितंबर 2012 और 5 अक्टूबर 2012 को, अपीलार्थी ने 18 चेकों के अपमान के संबंध में एसीएल और उसके निदेशकों-सीताराम गोयल, मनोज गोयल (प्रतिवादी) और मुकेश गोयल को एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस जारी किए।

3. 22 अक्टूबर 2012 और 6 नवंबर 2012 को, अपीलार्थी ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायतें दर्ज कीं।

9 करोड़ रुपये के चेक का अनादर। यह अपीलार्थी द्वारा दायर शिकायतों का पहला समूह है।

4. 2013 में, सीताराम गोयल ने उनके खिलाफ शिकायतों को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत याचिकाएं दायर कीं। 3 मार्च 2013 को मुकेश

एसीएल के निदेशक गोयल को केंद्रीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया था। मुकेश गोयल द्वारा 5 मार्च 2013 को जमानत याचिका दायर की गई थी। 5. जमानत आवेदन के लंबित रहने के दौरान, एसीएल ने मामले को निपटाने और एक समझौते पर पहुंचने के लिए अपीलार्थी से संपर्क किया। 12 पर

मार्च 2013 में, अपीलार्थी और ए. सी. एल. ने समझौते का एक विलेख किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल थींः

" 1. उपरोक्त समझौते के आधार पर "पार्टी ऑफ द

प्रथम भाग डी. डी. नं. 271351 , डीटीः 11/03/2013 रुपये के लिए। 3,00,00,000 / - (केवल तीन करोड़ रुपये) कपूर वैश्य बैंक लिमिटेड पर "पार्टी" के पक्ष में निकाले गए द पार्टी ऑफ द सेकंड "

11/03/2013 पर दूसरा भाग "

रुपये की प्राप्ति पर। 3 ऊपर उल्लिखित करोड़, "पार्टी"

2 .

द्वितीय पक्ष "प्रथम पक्ष" द्वारा दायर जमानत आवेदन पर कोई आपत्ति नहीं कहेगा। भाग "

6 " आई. पी. सी "

7 2012 का CC Nos.3326-3329 और 2013 का CC Nos.99-101 8 करोड़। ओपी नंबर। 22873 2016 का 22878 और सी. आर. एल. एम. पी. सं. 10687 2016 का 10698 [2021] 11 एस. सी. आर.

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

"प्रथम भाग की पार्टी" सहमत होती है और कार्य करती है।

रुपये की शेष राशि। 7 3 महीने के भीतर करोड़

भुगतान करना

रुपये की 3 बराबर किश्तों में। 2,33,33,333 / - (रुपया दो करोड़ तैंतीस लाख तैंतीस हजार तीन

केवल एक सौ तैंतीस) हर महीने "दूसरे भाग की पार्टी" के लिए। मासिक

किश्त का भुगतान हर महीने के 11 वें दिन या उससे पहले किया जाएगा अर्थात 11/04/2013,11/05/2013 और 11/06/2013। "प्रथम भाग की पार्टी" सहमत होती है और रुपये की मासिक किस्त का भुगतान करने का वचन देती है। 2,33,33,333 / - समान रूप से तीन भागों में विभाजित और श्री। सीताराम गोयल, श्री. मनोज गोयल और मेसर्स आंचल कलेक्शन लिमिटेड चेक जारी करेंगे।

समझौते के अनुपालन की दिशा में "दूसरे भाग की पार्टी" का प्रस्ताव।

"प्रथम भाग की पार्टी" ने "द्वितीय भाग की पार्टी" को निम्नलिखित चेक सौंपे

"प्रथम पक्ष" द्वारा दिए गए आश्वासन और वचन के अनुपालन के रूप में भाग [.....]

मेसर्स के निर्देशों के परामर्श के बाद "प्रथम भाग की पार्टी"। आंचल सीमेंट लिमिटेड (पूर्व में मेसर्स कालिका सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड) और मेसर्स। आंचल कलेक्शन लिमिटेड, जो "पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट" और श्री का पारिवारिक व्यवसाय और सहयोगी भी है। सीताराम गोयल इस समझौते पर पहुंचे हैं और इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कोई पूर्वनिर्धारित या गैर

इस समझौते में निर्धारित शर्तों की प्रतिबद्धता

यह कार्य धोखाधड़ी और धोखाधड़ी के बराबर होगा। "पार्टी ऑफ द फर्स्ट पार्ट" ने "पार्टी ऑफ द सेकंड पार्ट" को कानूनी ऋण की निकासी के लिए मेसर्स आंचल कलेक्शन लिमिटेड का चेक जारी किया है।

स्वचालित रूप से और "दूसरे की पार्टी" पी. ए. आर. टी. जमानत रद्द करने का भी हकदार है और एस. गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड वी. का भी हकदार है।

मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

एन. आई. अधिनियम के अलावा, चेक खींचने वाले के खिलाफ और "प्रथम पक्ष की पार्टी" और मैसर्स आंचल के अन्य निदेशकों के खिलाफ भी एक नई आपराधिक शिकायत दर्ज करें।

कलेक्शन लिमिटेड "।

"दूसरे भाग की पार्टी", की प्राप्ति पर रु. 5,33,33,333 / - जो सभी चेकों को सम्मानित करने के बाद पूरा किया जाएगाः 11/04/2013 , के खिलाफ दायर मध्यस्थता कार्यवाही में दायर गार्निशी आवेदन को वापस ले लेगा

" प्रथम भाग की पार्टी "inA.No। 312/2013 और

एनो। 313/2013 inO.A. नहीं. 42/2013, के समक्ष लंबित है

मद्रास का माननीय उच्च न्यायालय।

रुपये की पूरी निपटान राशि के भुगतान के बाद। 10

दूसरा भाग "पार्टी" के खिलाफ सी. सी. सं. 3326-3329/2012 और सी. सी. सं. 99-101/2013 में दायर सभी आपराधिक शिकायतों, मुकदमों, मध्यस्थता कार्यवाही, 138 कार्यवाही को वापस लेगा। प्रथम भाग का "। यह भी आश्वस्त और सहमत है

"प्रथम भाग की पार्टी" वापस ले लेगी

के खिलाफ कालकाटा सिटी सिविल कोर्ट में मामला दायर किया गया

" ओ. एस. सं. 1615 में दूसरे भाग की पार्टी

2012 . यह सहमति है कि रुपये के भुगतान पर। 10 "प्रथम पक्ष की पार्टी" द्वारा दिए गए करोड़ रुपये पर किसी भी पक्ष का कोई दावा नहीं होगा।

एच. एस. एस. समझौतों के तहत खरीदे गए क्विंकर की खरीद के मुद्दे पर एक-दूसरे के खिलाफः 17/04/2013 , 27 / 04/2013 और 27/04/2013 और प्रत्येक के खिलाफ दायर किए गए सभी मामले

अन्य को वापस ले लिया जाएगा।

उपरोक्त समझौते का आधार मुकेश गोयल थे। सीताराम गोयल और प्रतिवादी को 26 मार्च 2013 और 3 अप्रैल 2013 को अग्रिम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिया गया था।

समझौते के विलेख से।

18 अप्रैल 2013 में, ए. सी. एल. द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था और मद्रास में उच्च न्यायालय ने इसे चुनौती दी थी।अवैध, अमान्य और चेक की वापसी के लिए वादा

इसके अनुसरण में अपीलार्थी को जारी किया गया। शुरू में, एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी और चेक को बदल दिया गया था। 2 दिसंबर 2013 के एक आदेश द्वारा, अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया गया था और एसीएल का दावा कि समझौते का विलेख बल, धोखाधड़ी और जबरदस्ती से प्राप्त किया गया था, स्वीकृति के योग्य नहीं पाया गया था। एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ एक अपील को 12 दिसंबर 2014 को वापस लेते हुए खारिज कर दिया गया था।

8. 14 दिसंबर 2015 को इस अदालत ने आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी।

आई. पी. सी. की धारा 409 और 506 (1) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफ. आई. आर. अपराध No.21/2013 (जो केंद्रीय अपराध शाखा में दर्ज किया गया था) से उत्पन्न होता है।

9. 15 नवंबर 2016 को, मद्रास उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया

सीताराम गोयल ने अपने खिलाफ एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतों के पहले समूह को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू की।

10. समझौता विलेख के अनुसरण में जारी किए गए चेक

दिनांक 12 मार्च 2013 का अपमान किए जाने के बाद, अपीलार्थी द्वारा एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत 16 फरवरी 2017 को सातवें महानगर मजिस्ट्रेट (शिकायत) के समक्ष दूसरी शिकायत दर्ज की गई थी।

इसे शुरू में 2015 में सी. एम. एम. कोलकाता के समक्ष दायर किया गया था और बाद में 10 मार्च 2015 को चेन्नई स्थानांतरित कर दिया गया था। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत ए. सी. एल. के खिलाफ अपीलार्थी द्वारा दायर यह दूसरी शिकायत है।

11. 10 मार्च 2017 को, एसीएल और उसके निदेशकों (मनोज गोयल और

मुकेश गोयल) ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू की उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत

शिकायतों के पहले समूह में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत। 19 अगस्त 2017 को, ए. सी. एल. और उसके निदेशकों ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष आई. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द करने के लिए धारा 482 सी. आर. पी. सी. के तहत एक और कार्यवाही शुरू की।

शिकायत करें। बाद वाले का निपटारा उच्च न्यायालय ने एसीएल, मनोज गोयल और विजय श्रीवास्तव के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करके किया। शिकायतकर्ता प्रत्यर्थी के खिलाफ मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए सहमत है जो विचाराधीन चेक का हस्ताक्षरकर्ता था।

12. उच्च न्यायालय ने उन कार्यवाहियों का भी निपटारा किया जो थीं

10 मार्च 2017 को स्थापित किया गया और पहले सेट को रद्द करने से इनकार कर दिया

10 2017 का सीसी सं. 389

1 1 करोड़। 2017 का ओ. पी. सं. 5494-5500 और सी. आर. एल. एम. पी. सं. 5244 2017 के 5250,4094,4096,4098,4100,4102,4104 और 4106 तक

12 सीआरएल। 2017 का ओ. पी. सं. 17255 और सी. आर. एल. 2017 का एम. पी. संख्या 10587 और 10588 मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v.

मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

शिकायतें। उच्च न्यायालय के आदेशों को एसीएल द्वारा विशेष अनुमति याचिकाओं में चुनौती दी गई थी। 18 मई 2018 के अपने आदेश के अनुसार, यह न्यायालय ए. सी. एल. को इस विशिष्ट याचिका के संबंध में उच्च न्यायालय का रुख करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई कि समझौता विलेख (और इसके अनुसार जारी किए गए 15 चेक) को जबरदस्ती के तहत दर्ज किया गया था। इस न्यायालय का आदेश

इस प्रकार पढ़ता हैः

" देरी को माफ कर दिया गया। यह तर्क विद्वान वरिष्ठ वकील श्री के. वी. विश्वनाथन द्वारा दिया जाता है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश होते हुए, कि याचिकाकर्ताओं ने मांग की है

पूरी तरह से अलग आधारों पर कार्यवाही को रद्द करना। उन्होंने याचिका के आधार 'डी' का उल्लेख किया है। 67 कागज का पुस्तक) जिसमें यह कहा गया है कि समझौते के जबरदस्ती विलेख के तहत

याचिकाकर्ताओं और प्रतिवादी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और

जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादी के सभी दावों के पूर्ण निपटारे में 15 नए चेक जारी किए थे। वे प्रस्तुत करते हैं कि इस पहलू को पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा नहीं देखा गया है

सामान्य आदेश। याचिकाकर्ताओं को इस याचिका पर सुनवाई के लिए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई है और हम उच्च न्यायालय से उम्मीद करते हैं

न्यायालय इस मुद्दे को अपने गुण-दोष के आधार पर देखे। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है

इस मुद्दे के गुण-दोष और यह उच्च न्यायालय को अपना विचार रखना है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ विशेष अनुमति याचिका का निपटारा किया जाता है।

से।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसी के अनुसार निपटाया जाता है।

13. 14 जून 2018 को, दूसरी शिकायत को 7 मामलों के पहले समूह, शिकायतों के पहले समूह के साथ मुकदमा चलाने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया था। इस न्यायालय के आदेश के अनुसार, 19 जुलाई 2018 को, ए. सी. एल. ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत पहली शिकायत को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही शुरू की।

14. 6 अगस्त 2018 के एक आदेश द्वारा, 24 तारीख के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष स्थापित विशेष अनुमति याचिका 1 15 में

नवंबर 2017 में, प्रतिवादी, मनोज गोयल को स्वतंत्रता दी गई थी। 13 2018 की एस. एल. पी. (आपराधिक) डायरी No.17687 और 17257,2012 की सी. सी. संख्या 3326-3329 और

2013 की सी. सी. संख्या 99-101 के विरुद्ध 2018 की 1 4 14 Crl.O.P संख्या 21731-21737

15 2018 की एस. एल. पी. (आपराधिक) डायरी संख्या 17257 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामलों के दो समूहों के एक साथ अभियोजन के मुद्दे को उठाने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं:

के लिए समझौता पत्र के आधार पर जारी किया गया था उसी देयता का निर्वहन जिसके लिए पहले 18 रुपये के प्रत्येक चेक होते थे। 50 लाख जारी किए गए। वकील इंगित करता है कि पहले के चेकों से संबंधित अभियोजन के संबंध में, इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय के समक्ष इस तर्क को फिर से शुरू करने की अनुमति दी थी कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत दो अलग-अलग अभियोजन चेकों के दो सेटों के संबंध में- दोनों एक ही दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किए गए-एक साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। याचिकाकर्ता को इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर विचार करेगा।

अपने गुण। हम यह स्पष्ट करते हैं कि इस न्यायालय ने इस पर कोई राय व्यक्त नहीं की है

इस मुद्दे के गुण-दोष और यह उच्च न्यायालय को अपना विचार रखना है।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ विशेष अनुमति याचिका है

निकाल दिया। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो उसी के अनुसार निपटाया जाता है।

15. 18 सितंबर 2018 को, प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष उनके खिलाफ लंबित कार्यवाही को रद्द करने के लिए कार्यवाही शुरू की।

उसे दूसरी शिकायत में एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत। 10 अप्रैल 2019 के अपने फैसले द्वारा, उच्च न्यायालय ने पहली और दूसरी दोनों शिकायतों के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर याचिकाओं का निपटारा किया। उच्च न्यायालय:

ए. सी. एल. और उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को खारिज कर दिया गया

((i)

पहली शिकायत के खिलाफ निदेशक और फास्ट ट्रैक कोर्ट No.IV जॉर्ज टाउन, चेन्नई को तीन महीने के भीतर शिकायतों के पहले सेट में मुकदमा पूरा करने का निर्देश दिया;

16 2018 का सी. आर. एल. ओ. पी. सं. 25398 मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v. मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

प्रतिवादी, मनोज द्वारा शुरू की गई कार्यवाही की अनुमति दी गई

((ख)

गोएलैंड ने दूसरे मैच में कार्यवाही रद्द कर दी। सातवें महानगर की फाइल पर शिकायत

मजिस्ट्रेट।

16. 3 जून 2019 को, ए. सी. एल. ने एक आवेदन दायर किया जिसमें निष्कर्षों के स्पष्टीकरण के साथ समीक्षा की मांग की गई कि वे आपराधिक शिकायत के मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। उच्च न्यायालय ने पारित किया

8 जुलाई 2019 को उस पर एक आदेश।

17. 10 अप्रैल 2019 के उच्च न्यायालय के फैसले ने हमारे सामने विशेष अनुमति याचिकाओं को जन्म दिया है। विशेष अनुमति याचिका 1 8 उच्च न्यायालय द्वारा दूसरी आपराधिक शिकायत को रद्द करने के खिलाफ इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा स्थापित किया गया था। दूसरी ओर, एसीएल ने पहली शिकायत के तहत कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका 1 दायर की। दोनों ने

विशेष अवकाश याचिकाओं को टैग किया गया और एक साथ सुना गया।

18. एकल न्यायाधीश ने धारा 482 के तहत याचिका को स्वीकार करते हुए और दूसरी शिकायत में कार्यवाही को रद्द करते हुए प्रावधान किया

निम्नलिखित कारणः

" 19. [.....] समझौते के विलेख की वैधता में गए बिना समझौते के विलेख पर जारी किए गए चेक 2017 के सी. सी. संख्या 389 में समाप्त हुए। हालांकि पक्षकारों द्वारा निष्पादित समझौता विलेख का हिस्सा, समझौता विलेख पर जारी किए गए चेक पर शुरू की गई शिकायत को कायम नहीं रखा जा सकता है। मूल रूप से याचिकाकर्ताओं ने तीन एचएसएस समझौतों के प्रति भुगतान के अपने दायित्व पर चेक का पहला सेट जारी किया था, जो अभी भी परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत कार्यवाही के अनुसार लंबित है। इसलिए चेक का दूसरा सेट
केवल समझौते के विलेख के आधार पर जारी किया जाता है और वे किसी भी दायित्व के लिए जारी नहीं किए जाते हैं। इसके अलावा जब समझौते के विलेख को ही मुकदमे में चुनौती दी जाती है, तो समझौते के उक्त विलेख पर जारी किए गए चेक का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि वे चेक उनके भुगतान के लिए जारी किए गए थे।

दायित्व "।

17 (सी. आर. एल. सांसद संख्या। 8157 , 8158 , 8163 , 8165 , 8167 , 8168 2018 के सी. आर. एल. ओ. पी. सं. 21731-37 में 2019 का

18 2019 की एस. एल. पी. (आपराधिक) संख्या 6564 1 9 एस. एल. पी. (आपराधिक) संख्या।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

19. उपरोक्त उद्धरण में, उच्च न्यायालय ने कहा है कि चूंकि चेक के पहले सेट के अपमान के संबंध में आपराधिक शिकायतें

एच. एस. एस. ए. के तहत देयता के खिलाफ जारी किए गए चेक अभी भी लंबित हैं, समझौते के विलेख के आधार पर जारी किए गए चेक का दूसरा सेट "किसी भी देयता के लिए जारी नहीं किए जाते हैं"। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि चूंकि समझौते के विलेख की वैधता को उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे में चुनौती दी गई है, इसलिए समझौते के विलेख के आधार पर जारी किए गए चेक को दायित्व के निर्वहन के लिए नहीं माना जा सकता है। दो अपीलों के इस समूह में, गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (अपीलार्थी) की अपील धारा 138 के तहत दूसरी शिकायत को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले पर इस आधार पर आरोप लगाती है कि समझौते के विलेख के अनुसरण में जारी किए गए चेक का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि दायित्व का निर्वहन। एसीएल और उसके निदेशकों (मनोज गोयल और मुकेश गोयल) द्वारा शुरू की गई सहयोगी अपील में, चेक के पहले सेट के संबंध में पहली शिकायत को जारी रखने की अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय के आदेश पर हमला किया गया है।

B पक्षकारों की प्रस्तुतियाँ

20. श्री वी. गिरि, सुश्री लिज़ मैथ्यू के साथ अपीलकर्ताओं (गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील

निम्नलिखित प्रस्तुतियों का आग्रह किया है:

एन. आई. अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपराध है -

((i)

एक बार इसकी सामग्री पूरी हो जाने के बाद पूरा करें; एक बार जब अपराध पूरा हो जाता है और अभियोजन शुरू हो जाता है,

((ख)

इसे मुकदमे के लिए आगे बढ़ना चाहिए और यह उच्च न्यायालय के लिए समझौता विलेख के आधार पर अभियोजन को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए खुला नहीं था, जिसे समझौते के कारण लागू नहीं किया गया है।

अभियुक्त की चूक;

(iii)

क्या कोई देयता मौजूद है और क्या चेक (जैसा कि निर्धारित किया गया है) रक्षा में ऊपर) सुरक्षा के रूप में और जारी किए गए थे

मुकदमे के लिए मामले हैं;

((iv) एन. आई. की धारा 139 के तहत अनुमान को ध्यान में रखते हुए

अधिनियम, इस स्तर पर न्यायालय को इस आधार पर आगे बढ़ना होता है कि चेक कानूनी रूप से प्रवर्तनीय के निर्वहन में जारी किए गए थे।

ऋण; 'एस गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v. मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

समझौते के विलेख को चुनौती देने की मांग करने वाले मुकदमे की केवल लंबितता अपराधी को रद्द करने का आधार नहीं है। दोषसिद्धि के आदेश और पूर्ववर्ती स्तर पर मांग करने वाले आदेश के बीच कानून में स्पष्ट अंतर दी गई शिकायत

आपराधिक शिकायत को रद्द करना; और

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कोई प्रतिबंध नहीं है।

विशिष्ट अपराधों के लिए समानांतर कार्यवाही चेक का अपमान। चेक के पहले सेट और दूसरे सेट के संबंध में आपराधिक शिकायतों के दोनों सेट

अपराधी को निरस्त करने की मांग करने के लिए समझौता शिकायतें। मुकदमे के अंत में मजिस्ट्रेट

निस्संदेह सजा की प्रकृति निर्धारित करें जिसे लगाया जाना चाहिए।

दूसरी ओर, श्री जयंत भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील

ई निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ।

आवश्यक मुद्दा यह है कि क्या आपराधिक मुकदमा चल सकता है।

धारा 138 का महत्वपूर्ण घटक यह है कि एक चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए होना चाहिए। एक ही के लिए दो मुकदमे नहीं हो सकते हैं। दायित्व,

चेक के पहले सेट के तहत देयता को समझौते के विलेख के बाद दूसरे सेट द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था

चेक;

समझौते के विलेख के परिणामस्वरूप एक था

पार्टियों के बीच नया अनुबंध; भारतीय संविधान की धारा 39 के प्रावधानों के संदर्भ में

अनुबंध अधिनियम 1872 अपीलार्थी के लिए यह चुनने के लिए खुला है कि क्या समझौते को अस्वीकार किया जाए या दूसरे पक्ष (उत्तरदाताओं) द्वारा समझौते के उल्लंघन पर इसके प्रदर्शन को जारी रखा जाए;

अपीलार्थी ने वास्तव में आपराधिक शिकायत और मध्यस्थ को वापस लेने में विफल रहकर समझौते के विलेख को अस्वीकार कर दिया है।

(vii) अपीलार्थी परिस्थितियों में केवल चेक के पहले सेट के संबंध में दायित्व को लागू कर सकता है -

जिसके परिणामस्वरूप केवल पहले समूह के संबंध में आपराधिक अभियोजन आगे बढ़ सकता है; और

(viii) क्रॉस अपील में, श्री जयंत भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि

अभियुक्त का कहना है कि लेन-देन वास्तव में उच्च समुद्रों पर बिक्री नहीं थी। हालांकि, विद्वान वरिष्ठ वकील ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही में इसे उचित रूप से उत्तेजित नहीं किया जा सकता है और यह उचित होगा यदि

मुकदमे में आग्रह किए जाने के लिए इस मुद्दे को खुला छोड़ दिया गया है।

22. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर अब विचार किया जाएगा।

सी विश्लेषण

23. इस न्यायालय के समक्ष सवाल यह है कि क्या एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत एकल लेनदेन से उत्पन्न होने वाले समानांतर अभियोजन हो सकते हैं

कायम रहा। इस मामले में, चेकों के एक समूह का अपमान किया गया, जिससे एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत पहली शिकायत दर्ज की गई। इसके बाद पक्षों ने मामले को निपटाने के लिए समझौता ज्ञापन किया। जबकि पहली शिकायत लंबित थी, समझौता विलेख के अनुसार जारी किए गए चेक का अपमान किया गया था जिससे एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दूसरी शिकायत हुई। दोनों कार्यवाही लंबित है।

एक साथ और यह इस न्यायालय को तय करना है कि क्या शिकायतकर्ता को दोनों मामलों को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है या क्या उनमें से एक को रद्द किया जाना चाहिए और इस तरह के रद्द होने से होने वाले परिणाम।

सी. 1 समानांतर अभियोजन

24. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 इस प्रकार निर्धारित करती है:

" निधि की अपर्याप्तता आदि के लिए चेक का अनादर

खाता।

जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य देयता के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए उस खाते से किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी राशि के भुगतान के लिए किसी बैंकर के साथ रखे गए खाते पर

कोई चेक बैंक द्वारा बिना भुगतान किए वापस कर दिया जाता है, या तो उस खाते में जमा की गई राशि के कारण जो चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या कि

यदि वह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली व्यवस्था की गई राशि से अधिक है, तो ऐसे व्यक्ति को मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड V माना जाएगा।

मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अपराध किया है और किसी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों में कारावास की सजा दी जाएगी जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों के साथः

बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि (क) चेक को बैंक को उस तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया गया है;

(ग) इस तरह के चेक का दराज भुगतान करने में विफल रहता है। चेक के नियत समय के भीतर, पंद्रह दिनों के भीतर, प्राप्तकर्ता को या, जैसा भी मामला हो, धारक को राशि की उक्त राशि

उक्त सूचना की प्राप्ति।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, अन्य दायित्व के ऋण का अर्थ है कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या अन्य दायित्व। 25. धारा 138 के तहत अपराध के तत्व इस प्रकार हैं:

((i)

रखे गए खाते पर व्यक्ति द्वारा चेक की निकासी

उसके द्वारा किसी भी राशि के भुगतान के लिए बैंकर के साथ

उस खाते से दूसरे को पैसा;

((ख)

पूरे या अंदर निर्वहन के लिए खींचा जा रहा चेक किसी भी ऋण या अन्य दायित्व का हिस्सा;

(iii)

बैंक को चेक की प्रस्तुति;

((iv)

ऋण लेने वाले बैंक द्वारा भुगतान न किए गए चेक की वापसी

या तो इसलिए कि उस खाते में जमा की गई राशि चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है।

(v)

देय समय में प्राप्तकर्ता या धारक द्वारा एक सूचना चेक की वापसी के संबंध में बैंक से जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चेक के दराज को राशि के भुगतान की मांग; और [2021] 11 एस. सी. आर.

चेक का दराज भुगतान करने में विफल रहा

(vi)

देय समय पर प्राप्तकर्ता या धारक को राशि

नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर।

26. के भास्करन में इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ के एक फैसले में अपराध के तत्वों को काफी हद तक समान शब्दों में संक्षेपित किया गया था।

वी. शंकरन वैद्यन बालन 2 ओ। न्यायमूर्ति के. टी. थॉमस ने कहाः

" 14. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध को पूरा किया जा सकता है। केवल कई कृत्यों के संयोजन के साथ। निम्नलिखित

वे कार्य हैं जो उक्त अपराध के घटक हैंः (1) चेक निकालना, (2) बैंक को चेक प्रस्तुत करना, (3) निकासी बैंक द्वारा भुगतान नहीं किए गए चेक को वापस करना, (4) चेक की राशि के भुगतान की मांग करते हुए चेक के निकासीकर्ता को लिखित रूप में नोटिस देना, (5) निकासीकर्ता द्वारा भुगतान करने में विफलता।

15 नोटिस की प्राप्ति के दिन।

27. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध की प्रकृति है -

इसमें अर्ध-आपराधिक, जबकि यह एक नागरिक गलती से उत्पन्न होता है, कानून, हालांकि, कारावास या जुर्माने के रूप में आपराधिक दंड लगाता है। द.

इस अधिनियम का उद्देश्य ऋणदाताओं को प्रतिभूति प्रदान करना और उसे लागू करना है।

देश की बैंकिंग प्रणाली में विश्वास। एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही की प्रकृति पर पी. मोहनराज और अन्य बनाम मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले द्वारा विचार किया गया था। शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड 2 1, जहाँ न्यायमूर्ति आर. एफ. नरीमन ने इस न्यायालय के उदाहरणों को स्वीकार करने के बाद कहा किः

" 53. ईश्वरलाल भगवानदास [एस. ए. एल. नारायण रो बनाम। ईश्वरलाल भगवानदास, (1966) 1 एससीआर 190: ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1818] यह दिखाएगा कि एक दीवानी कार्यवाही आवश्यक रूप से एक कार्यवाही नहीं है जो एक मुकदमा दायर करने के साथ शुरू होती है और एक डिक्री के निष्पादन में समाप्त होती है। इसमें राजस्व कार्यवाही के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर एक रिट याचिका भी शामिल होगी। संविधान, यदि उसमें राहत नागरिक प्रकृति के अधिकारों को लागू करने के लिए है। दिलचस्प बात यह है कि आपराधिक कार्यवाही को ऐसी कार्यवाही कहा जाता है जिसमें राज्य के व्यापक हित का संबंध होता है। इन

परीक्षणों को देखते हुए, यह स्पष्ट है कि धारा 138 की कार्यवाही को "आपराधिक भेड़िये" के कपड़ों में "सिविल शीप" कहा जा सकता है, क्योंकि यह पीड़ित के हित की रक्षा करने की मांग की जाती है।

20 (1999) 7 एस. सी. सी. 510

21 (2021) 6 एस. सी. सी. 258 एम/एस. गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v. मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

राज्य के हित को केवल पीड़ित द्वारा चेक उछाल के मामलों में अदालत का रुख करने में शामिल किया जा रहा है, जैसा कि हमने परक्राम्य लिखत अधिनियम के अध्याय XVII के ऊपर किए गए विश्लेषण में देखा है।

28. यह देखते हुए कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 का प्राथमिक उद्देश्य शिकायतकर्ता को मुआवजा सुनिश्चित करना है, एन. आई. अधिनियम भी अनुमति देता है -

शिकायत के लंबित रहने के दौरान और अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के बाद भी, दोनों पक्षों को समझौता करना। मीटर एंड इंस्ट्रूमेंट्स (पी) लिमिटेड में इस न्यायालय का निर्णय। कंचन

मेहता 22 एक अपराध के चक्रवृद्धि की अनुमति देने के उद्देश्य का सारांश देता है।

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहतः

" 18.2 . प्रावधान का उद्देश्य मुख्य रूप से प्रतिपूरक होना,

प्रतिपूरक तत्व, प्रारंभिक चरण में चक्रवृद्धि को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लेकिन उचित मुआवजे के अधीन बाद के चरण में प्रतिबंधित नहीं किया जाता है जो पक्षों या पक्षकारों को स्वीकार्य पाया जा सकता है। अदालत "।

29. प्रकाश गुप्ता बनाम। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ, जिसमें हममें से एक (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) एक हिस्सा थे, ने विश्लेषण किया मीटर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स (उपरोक्त) में इस बात पर चर्चा के संदर्भ में निर्णय कि क्या किसी अपराध के चक्रवृद्धि के लिए पीड़ित पक्ष की सहमति की आवश्यकता होती है (पैरा 78)। मीटर में निर्णय और

धारा 138 के तहत दंडनीय अपराधों के चक्रवृद्धि के पीछे के तर्क के संबंध में दस्तावेज़ (उपरोक्त) ऊपर उद्धृत किए गए हैं। दामोदर एस. प्रभु बनाम। इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का प्रभाव वाणिज्यिक लेनदेन में शामिल दो निजी पक्षों तक सीमित है। हालांकि, चेक के अपमान के लिए आपराधिक मंजूरी प्रदान करने में विधायिका का इरादा परक्राम्य साधनों से जुड़े लेनदेन की विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 4. यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब 1988 में क़ानून में अपराध जोड़ा गया था, तो इसमें एक तक के कारावास का प्रावधान था।

वर्ष, जिसे 2002 में अधिनियम में संशोधन के बाद दो वर्षों में संशोधित किया गया था। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि विधायी इरादा था

22 (2018) 1 एससीसी 560 23 (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 485 24 (2010) 5 एससीसी 663 [2021] 11 एस. सी. आर.

चेक के अपमान की चिंताजनक रूप से उच्च घटनाओं को रोकने के लिए एक मजबूत आपराधिक उपचार प्रदान करें। जबकि दो साल तक के कारावास की संभावना दंडात्मक प्रकृति का एक उपाय प्रदान करती है, "जुर्माना लगाने का प्रावधान जो चेक की राशि के दोगुने तक बढ़ सकता है" एक प्रतिपूरक उद्देश्य को पूरा करता है। याद रखने वाली बात यह है कि चेक का अपमान हो सकता है। इन उपकरणों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में सार्वजनिक हित की सेवा के लिए बनाए गए एक नियामक अपराध के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए। इस अपराध का प्रभाव आमतौर पर इन तक ही सीमित रहता है -

वाणिज्यिक लेन-देन में शामिल निजी पक्ष "।

30. हालाँकि, इस न्यायालय ने यह भी नोट किया कि एक आपराधिक उपचार की शुरुआत ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति को जन्म दिया है जहाँ धारा के तहत मामले हैं।

138 एन. आई. अधिनियम के प्रावधान आपराधिक न्याय प्रणाली पर असमान रूप से बोझ डाल रहे हैं। इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 5. निश्चित रूप से, एक मजबूत आपराधिक उपचार के प्रावधान ने बड़ी संख्या में ऐसे मामलों की स्थापना को प्रोत्साहित किया है जो अधिनियम की धारा 138 द्वारा अनुध्यात अपराध से संबंधित हैं। इतना ही नहीं, वर्तमान में चेकों के अपमान से जुड़े बड़ी संख्या में मामले हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को अवरुद्ध कर रहे हैं, विशेष रूप से मजिस्ट्रेट अदालतों के स्तर पर। के रूप में

भारत के विधि आयोग की 214 वीं रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2008 तक देश की विभिन्न अदालतों में 38 लाख से अधिक चेक बाउंस होने के मामले लंबित थे। यह हमारी न्यायिक प्रणाली पर एक अभूतपूर्व दबाव डाल रहा है।

31. इस प्रकार, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 की छाया में, पक्षों को विवाद को निपटाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप विवाद का अंतिम रूप से अंत हो जाता है। न्यायालय के समक्ष एक लंबी मुकदमेबाजी जारी रखने के बजाय मामला। यह शिकायतकर्ता के लिए फायदेमंद है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप शिकायत की जल्दी वसूली होती है।

धन; उच्च मुआवजे और मुकदमेबाजी से बचने के लिए अनुबंध की शर्तों में परिवर्तन। समान रूप से, अभियुक्त को लाभ होता है क्योंकि यह दोषसिद्धि और सजा या जुर्माने के भुगतान से बचाता है। यह न्यायिक प्रणाली के बोझ को भी कम करता है, जिसमें एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायतों की भारी संख्या है। दामोदर एस. प्रभु (ऊपर) में इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत उपचार के प्रतिपूरक पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और वादियों को विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने के लिए प्रोत्साहित किया है। न्यायालय ने टिप्पणी कीः

" 18. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चेक के अपमान के अपराध के संबंध में, यह उपचार का प्रतिपूरक पहलू है जिसे मैसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v.

मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दंडात्मक पहलू पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान महान्यायवादी द्वारा उठाई गई आशंकाओं के लिए कुछ समर्थन भी है कि अधिकांश चेक बाउंस मामलों को वास्तव में समझौता किया जा रहा है या परिवर्धन के माध्यम से निपटाया जा रहा है, हालांकि मुकदमेबाजी के बाद के चरणों के दौरान जिससे न्याय वितरण में अनुचित देरी हो रही है। यहाँ समस्या वादियों की प्रवृत्ति के साथ है कि वे अपने समाधान के साधन के रूप में देर से चक्रवृद्धि का चयन करते हैं।

विवाद। इसके अलावा, विद्वान महान्यायवादी की ओर से दायर लिखित प्रस्तुतियों में इस तथ्य पर जोर दिया गया है कि धारा 320 सी. आर. पी. सी. के विपरीत, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 147 इस बारे में कोई स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान नहीं करती है कि किस स्तर पर चक्रवृद्धि की जा सकती है या नहीं और क्या शिकायतकर्ता के कहने पर या अदालत की अनुमति से चक्रवृद्धि की जा सकती है।

मजिस्ट्रेटों द्वारा शिकायतों का संज्ञान लेते ही इसे चुनना। इस तरह के व्यवहार के लिए एक स्पष्टीकरण यह हो सकता है कि अभियुक्त व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका लेने के लिए तैयार होते हैं और फिर केवल तभी निपटान का मार्ग चुनते हैं जब कोई अन्य मार्ग नहीं बचा हो। जबकि ऐसा

व्यवहार को वादियों के दृष्टिकोण से तर्कसंगत के रूप में देखा जा सकता है, ठोस तथ्य यह हैं कि चक्रवृद्धि का विकल्प चुनने में अनुचित देरी

23. हम एक ही लेन-देन से संबंधित कई शिकायतों को दर्ज करने को नियंत्रित करने के लिए विद्वान महान्यायवादी के सुझावों से भी सहमत हैं। यह प्रस्तुत किया गया था कि कई क्षेत्राधिकारों में परेशान करने वाले तरीके से शिकायतें तेजी से दर्ज की जा रही हैं जो जबरदस्त उत्पीड़न का कारण बनती हैं और [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

चेक के दराज के प्रति पूर्वाग्रह। उदाहरण के लिए, समान मासिक किश्तों में चुकाई जाने वाली किश्त के आधार पर लिए गए ऋण से संबंधित एक ही लेनदेन में, कई चेक लिए जाते हैं जो प्रत्येक मासिक किश्त के लिए दिनांकित होते हैं और

ऐसे प्रत्येक चेक का अनादर, अलग-अलग शिकायतें की जा रही हैं

विभिन्न न्यायालयों में दायर किया जाता है जिनके पास शिकायत के संबंध में अधिकार क्षेत्र भी हो सकता है। इस निवेदन के आलोक में, हम निर्देश देते हैं कि शिकायतकर्ता के लिए यह खुलासा करना अनिवार्य होना चाहिए कि कोई अन्य उसी लेन-देन के संबंध में किसी अन्य अदालत में शिकायत दर्ज की गई है। इस तरह का खुलासा एक शपथ पत्र पर किया जाना चाहिए जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के तहत दायर शिकायत के साथ होना चाहिए। यदि यह पाया जाता है कि ऐसी कई शिकायतें दायर की गई हैं, तो शिकायतकर्ता पर इस तरह की प्रथा का सहारा लेने के लिए भारी लागत लगाने के बाद, आम तौर पर उच्च न्यायालय द्वारा पहली अदालत में शिकायत को स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाना चाहिए। ये

निर्देशों को संभावित रूप से प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

32. इस चिंता को हाल ही में इस न्यायालय के संविधान एच द्वारा पुनः दोहराया गया हैः एन. आई. अधिनियम 188125 की धारा के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई, जहां यह देखा गया कि

" 5. स्थिति में सुधार नहीं हुआ है क्योंकि अदालतें अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतों की भारी लंबितता के साथ संघर्ष करना जारी रखती हैं। विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट से पता चलता है कि 31.12.2019 पर, लंबित आपराधिक मामलों की कुल संख्या 2.31 करोड़ थी, जिनमें से 35.16 लाख अधिनियम की धारा 138 से संबंधित थे। मामलों के लंबित रहने के कारण,

[.....] 23. हालाँकि हमने अन्य सभी मुद्दों को संदर्भित किया है जो यहाँ इस न्यायालय द्वारा 10.03.2021 पर नियुक्त समिति को तय नहीं किए गए हैं, लेकिन निम्नलिखित शिकायतों से निपटना आवश्यक है।

मोटो रिट याचिका (सी. आर. एल.) 2020 का नंबर 2,16 अप्रैल 2021,// मुख्य पर उपलब्ध है। विज्ञान. गव. में/सर्वोच्च न्यायालय/2020/9631/9631 2020 31 501 27616nent _ 16-अप्रैल-2021. pdf.

मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v. मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

धारा 138 अपीलीय न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय में लंबित है। हमें विद्वान एमिसी क्यूरी द्वारा सूचित किया जाता है कि मामले। अपीलीय स्तर पर और उच्च न्यायालयों और इस न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सकता है। हम उच्च से अनुरोध करते हैं न्यायालय
अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायतों से उत्पन्न लंबित संशोधनों की पहचान करेंगे और उन्हें जल्द से जल्द मध्यस्थता के लिए भेजेंगे। वे न्यायालय जिनके समक्ष निर्णयों के विरुद्ध अपील की जाती है

अधिनियम की धारा 138 के तहत लंबित शिकायतों में मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को निपटाने का प्रयास करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

33. एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अदालती कार्यवाही की लंबितता और शिकायतों की बहुलता जिसमें कार्रवाई का कारण होता है।

एक लेन-देन से उत्पन्न होने वाले मुकदमे ने भारत में व्यापार करने की सुगमता को कम कर दिया है, व्यावसायिक भावनाओं को प्रभावित किया है और निवेशकों के निवेश में बाधा डाली है। इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय ने 8 जून 2020 को 26 तारीख के एक नोटिस के माध्यम से इस संबंध में टिप्पणी मांगी है।

देश में व्यावसायिक भावना में सुधार के लिए एन. आई. अधिनियम की धारा 138 सहित छोटे अपराधों को अपराध से मुक्त करना।

34. यह इस पृष्ठभूमि में है कि हमें अब एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतों के लिए समानांतर कार्यवाही के लंबित होने के मुद्दे का विश्लेषण करना चाहिए। हमारे विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या एक बार समझौता हो जाने के बाद, शिकायतकर्ता को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मूल शिकायत को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है।

35. तथ्यों का वर्णन इंगित करता है कि शुरू में 18 चेक

अपीलार्थी (गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड) के पक्ष में एसीएल द्वारा 9 करोड़ रुपये के कुल मूल्य का दिनांक 8 अगस्त 2012 को जारी किया गया था। 21 अगस्त 2012 को इस आधार पर चेक का अनादर कि दराज़दार द्वारा भुगतान रोक दिया गया था या, जैसा भी मामला हो, धन की अपर्याप्तता के कारण एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस जारी किए गए और सातवें महानगर मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली आपराधिक शिकायत की स्थापना की गई। यह उस समय था जब एसीएल के निदेशक मुकेश गोयल को केंद्रीय अपराध शाखा ने 3 मार्च 2013 को अपराध संख्या 21/2013 के संबंध में गिरफ्तार किया था, जो आईपीसी की धारा 409 और 506 (1) के तहत अपराधों के लिए दर्ज किया गया था। इस पृष्ठभूमि में समझौता 12 मार्च 2013 को किया गया था। का कार्य

समझौता इस बात की परिकल्पना करता है किः

26 HTTPS: //वित्तीय सेवाएँ। गव. इन/साइट/डिफ़ॉल्ट/फाइल/डिक्रिमिनलाइजेशन% 20-% 20 सार्वजनिक% 20 टिप्पणियाँ।

रुपये का डिमांड ड्राफ्ट। 3 करोड़ रुपये दिए गए

(1)

11 मार्च 2013 को शिकायतकर्ता; 3 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता

((ख)

मनोज गोयल द्वारा दायर जमानत याचिका पर आपत्ति नहीं करेंगे;

(111) 3 करोड़ रुपये की राशि के अलावा, 7 करोड़ रुपये की शेष राशि का भुगतान तीन महीने के भीतर तीन समान मासिक किश्तों में किया जाएगा।

((iv) रुपये की राशि। 23 करोड़ रुपये को समान रूप से विभाजित किया जाएगा।

सीताराम गोयल, मनोज गोयल और एसीएल के बीच जो अनुपालन में शिकायतकर्ता के पक्ष में चेक जारी करेंगे

बस्ती का; दायित्व के निर्वहन के लिए, दिनांकित पोस्ट-डेट चेक

(v)

11 अप्रैल 2013,11 मई 2013 और 11 जून 2013 थे

सौंप दिया गया; और

(vi) में निर्धारित शर्तों का पालन करने में कोई चूक

समझौता विलेख शिकायतकर्ता को चेक खींचने वाले के खिलाफ एन. आई. अधिनियम के तहत एक नई आपराधिक शिकायत दर्ज करने और अन्य निदेशकों के खिलाफ आगे बढ़ने का अधिकार देगा।

और

(vii) Rs.10 की पूरी निपटान राशि के भुगतान पर

सभी आपराधिक शिकायतों, मुकदमों, मध्यस्थता कार्यवाही और धारा 138 कार्यवाही को वापस ले लिया जाएगा।

36. यह विवाद में नहीं है कि रुपये की राशि की प्राप्ति के बाद। 3 करोड़, समझौता विलेख के अनुसरण में, मुकेश गोयल था

सक्षम अदालत द्वारा जमानत प्रदान की गई। समझौता विलेख के तहत देय और देय शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया है और चेक के दूसरे सेट का अपमान किया गया है। ए. सी. एल. ने समझौते के विलेख को चुनौती देने के लिए मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया।

जबकि मुकदमा लंबित है, अंतरिम आवेदन खारिज कर दिया जाता है। इस पृष्ठभूमि में, एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायतों के दो सेट हैं जो क्रमशः चेक के पहले सेट और दूसरे सेट के अपमान पर आधारित हैं।

37. शिकायतों के दोनों सेटों के तहत अभियोजन की अनुमति देना अधिनियम के उद्देश्य के विपरीत होगा। जैसा कि ऊपर बताया गया है,

उपचार का प्रतिपूरक पहलू जिसे मेसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के रूप में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

दंडात्मक पहलू के खिलाफ। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता मुख्य रूप से धन की वसूली से संबंधित है, आरोपी को दोषी ठहराए जाने से बहुत कम उद्देश्य पूरा होता है। वास्तव में, जेल की धमकी धन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक छड़ी के रूप में कार्य करती है। आर. विजयन बनाम में यह न्यायालय। बेबी27 ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे अपराधी की सजा शिकायतकर्ता के लिए निम्नलिखित शब्दों में एक गौण चिंता का विषय है:

" 17. स्पष्ट इरादा यह सुनिश्चित करना है कि न केवल अपराधी को दंडित किया जाए, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतकर्ता को संहिता की धारा 357 (1) (बी) के तहत मुआवजे के रूप में चेक की राशि हमेशा प्राप्त हो। हालांकि धारा 138 के तहत एक शिकायत अधिनियम के अपराध के लिए आपराधिक दायित्व के संबंध में है

चेक का अनादर करना और चेक राशि की वसूली के लिए नहीं (जिसे सख्ती से बोलते हुए, एक दीवानी मुकदमे द्वारा लागू किया जाना है), व्यवहार में एक बार अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज की जाती है, चेक की राशि की वसूली के लिए शायद ही कभी दीवानी मुकदमा दायर किया जाता है। ऐसा इस प्रावधान के कारण है जो अदालत को चेक राशि से जुड़ा जुर्माना लगाने में सक्षम बनाता है और ऐसे मामलों में सामान्य निर्देश मुआवजे के रूप में भुगतान के लिए होता है। राशि, चेक के अपमान के कारण शिकायतकर्ता द्वारा किए गए नुकसान के रूप में। संहिता की धारा 357 (1) (बी) और अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराधों के चक्रवृद्धि के प्रावधान के तहत अधिकांश मामले (उन मामलों को छोड़कर जहां देयता से इनकार किया जाता है) किसी न किसी स्तर पर ब्याज के साथ या उसके बिना चेक राशि के भुगतान से चक्रवृद्धि हो जाते हैं। जहाँ अपराध हुआ वहाँ भी

चक्रवृद्धि नहीं है, अदालतें भुगतान का निर्देश देती हैं

चेक राशि (या ब्याज के लिए कुछ और भी) के बराबर मुआवजे के लिए जुर्माना लगाया जाता है।

चेक राशि। एक अवस्था आ गई है जब अधिकांश

शिकायतकर्ता, विशेष रूप से वित्त संस्थान (विशेष रूप से निजी वित्तपोषक) अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही को चेक राशि की वसूली के लिए एक कार्यवाही के रूप में देखते हैं।

के अपराध के लिए चेक के दराज की सजा

अपमान, गौण होना "।

38. जब कोई शिकायतकर्ता पक्ष समझौता करता है

अभियुक्त के मामले में, यह कई कारणों से हो सकता है-उच्च मुआवजा, धन की तेजी से वसूली, मुकदमे की अनिश्चितता और शिकायत की ताकत, अन्य के बीच। शिकायतकर्ता समझौता करता है

27 (2012) 1 एससीसी 260 [2021] 11 एस. सी. आर.

खुली आँखों से और आरोपी के सम्मान करने में विफल होने का जोखिम उठाता है

निपटान समझौते के अनुसार कुछ लाभों के आधार पर जारी किए गए चेक। एक बार जब पक्ष स्वेच्छा से इस तरह के समझौते में प्रवेश करते हैं और परिणामों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं

नागरिक कानून और आपराधिक कानून के तहत उपचार। 39. एक विपरीत व्याख्या, जो शिकायतकर्ता को मूल शिकायत और उससे उत्पन्न होने वाले परिणामों दोनों को आगे बढ़ाने की अनुमति देती है।

समझौता समझौता, विरोधाभासी परिणाम देगा। सबसे पहले, यह अभियुक्त पर मुकदमा चलाने और दो अलग-अलग शिकायतों के लिए मुकदमा चलाने की अनुमति देगा, जो इसके सार में एक अंतर्निहित कानूनी दायित्व से उत्पन्न होती हैं। दूसरा, अभियुक्त को न केवल लेन-देन के मूल समझौते के उल्लंघन के लिए आपराधिक दायित्व का सामना करना पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप चेक का पहला सेट जारी किया गया था, बल्कि समझौता विलेख के अनुसार जारी किए गए चेक भी। तीसरा, कम करने के बजाय

समानान्तर कार्यवाहियों को आगे बढ़ाना, एक मूल शिकायत के परिणामस्वरूप और दूसरा समझौते की शर्तों से उत्पन्न होने से निपटान और नए चेक जारी करना या कोई अन्य आंशिक भुगतान करना होगा। मूल दायित्व के प्रति बनाया गया अर्थहीन। इस तरह की व्याख्या मामलों के निपटारे को हतोत्साहित करेगी क्योंकि उनका यथास्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और वास्तव में अदालत के समक्ष लंबे मुकदमेबाजी को बढ़ाता है।

40. इस प्रकार, हमारे विचार में, एक शिकायतकर्ता एक ही अंतर्निहित लेनदेन के लिए दो समानांतर अभियोजनों का पीछा नहीं कर सकता है। एक बार समझौता

पक्षों द्वारा समझौता किया गया है, मूल शिकायत में कार्यवाही को बनाए नहीं रखा जा सकता है और निपटान विलेख की शर्तों के तहत शिकायतकर्ता को कार्रवाई का एक नया कारण प्राप्त होता है। यह श्री वी. गिरि, विद्वान वरिष्ठ वकील और सुश्री लिज़ मैथ्यू, विद्वान मैसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड वी. द्वारा आग्रह किया गया है।

मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

अधिवक्ता, कि समानांतर अभियोजन से कार्यवाही की बहुलता नहीं होगी, क्योंकि वर्तमान मामले में, दोनों शिकायतों का परीक्षण एक ही न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। यह हमारे समक्ष मामले के लिए सच हो सकता है, हालाँकि, यह न्यायालय दामोदर एस. प्रभु (ऊपर) और पुनः का त्वरित परीक्षण

मामलों (उपरोक्त) ने एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत मामलों की सुनवाई में देरी के प्रमुख कारणों में से एक के रूप में शिकायतों की बहुलता को मान्यता दी है।

और परिणामस्वरूप धारा 138 मामलों की अनुपातहीन संख्या द्वारा आपराधिक न्याय प्रणाली का दम घुटना। हालांकि यह सच है कि इस मामले में मुकदमा एक अदालत के समक्ष है, लेकिन जरूरी नहीं कि यह सभी मामलों में जमीनी वास्तविकता हो।

41. इस स्तर पर, ललित कुमार शर्मा बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करना आवश्यक हो सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य 28 और

अरुण कुमार बनाम। अनीता मिश्रा 2 9. ललित कुमार शर्मा (ऊपर) में, दो निदेशकों (मनीष अरोड़ा और आशीष नरूला) वाली एक कंपनी ने रुपये की राशि के लिए ऋण प्राप्त किया था और पहले प्रतिवादी के पक्ष में समतुल्य राशि में दो चेक निकाले थे। "धन की अपर्याप्तता" के लिए चेक बिना भुगतान किए वापस कर दिए गए थे। दोनों निदेशकों के खिलाफ एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। अपीलार्थी, जो उक्त कंपनी के निदेशक भी थे, चेक पर हस्ताक्षरकर्ता नहीं थे और उन्हें शिकायत में पक्षकार नहीं बनाया गया था। शिकायत के लंबित रहने के दौरान, मनीष अरोड़ा, आशीष नरूला और शिकायतकर्ता के बीच एक समझौता किया गया था जिसके तहत यह परिकल्पना की गई थी कि यदि रुपये का चेक जारी किया जाता है, तो शिकायत वापस ले ली जाएगी। मनीष अरोड़ा ने एक चेक जारी किया जिसे धन की कमी के कारण वापस कर दिया गया। इस बीच, आशीष नरूला और कंपनी ने एक समझौता किया जिसमें कहा गया कि उक्त लेन-देन से उत्पन्न देयता व्यक्तिगत रूप से निदेशक की थी, न कि कंपनी की। बाद के चेक की वापसी के आधार पर एक और शिकायत दर्ज की गई, जिसमें मनीष अरोड़ा और आशीष नरूला और अपीलकर्ताओं को पक्षकार बनाया गया। इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने कहा कि पहले चेक के संबंध में, अपीलकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी और हालांकि मनीष अरोड़ा और आशीष नरूला और शिकायतकर्ता के बीच समझौता किया गया था, लेकिन शिकायत में ऐसा नहीं किया गया था।

वापस ले लिया गया और दोनों निदेशकों को एन. आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध का दोषी पाया गया। मनीष अरोड़ा ने दोनों पक्षों के बीच समझौते के संदर्भ में दूसरा चेक जारी किया था। इसी पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहाः

28 (2008) 5 एस. सी. सी. 638

29 29 (2020) 16 एससीसी 118 [2021] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 15. जाहिर है, इसलिए, दूसरा चेक समझौते के संदर्भ में जारी किया गया था। इसने कोई नया दायित्व नहीं बनाया। चूंकि समझौता फलीभूत नहीं हुआ, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इसे ऋण के भुगतान के लिए जारी किया गया था।

[.....]

17. इस प्रकार, दूसरा चेक मनीष अरोड़ा द्वारा एक समझौते पर पहुंचने के उद्देश्य से जारी किया गया था। उक्त चेक जारी नहीं किया गया था कंपनी के ऋण या दायित्व के निर्वहन में जिसमें अपीलकर्ताओं को निदेशक कहा जाता था। श्री आशीष नरूला, श्री मनीष अरोड़ा, कंपनी के निदेशकों और शिकायतकर्ता के बीच केवल एक लेनदेन हुआ था। उन्हें पहले ही सजा दी जा चुकी है। इस प्रकार, दूसरी शिकायत पर विचार करने का सवाल ही नहीं उठा। हमारी राय में, यह पूरी तरह से गलत था। इसलिए, हमारी राय में, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए। इसे तदनुसार निर्देशित किया जाता है। प्रत्यर्थी अपीलार्थियों का खर्च वहन करेगा। वकील का शुल्क रुपये निर्धारित किया गया। 25,000 . "

42. अदालत ने नोट किया कि दूसरा चेक मनीष अरोड़ा द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में समझौते पर पहुंचने के लिए जारी किया गया था, न कि

कंपनी के ऋण या दायित्व का निर्वहन। मनीष अरोड़ा और आशीष नरूला और शिकायतकर्ता के बीच केवल एक लेनदेन था जिसके लिए दोषसिद्धि और सजा का आदेश था। इसमें था। इस पृष्ठभूमि में कि न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थियों के खिलाफ दूसरी शिकायत पर विचार करने का प्रश्न इसलिए नहीं उठा क्योंकि समझौते के अनुसार जारी किए गए चेक के निर्वहन में जारी नहीं किए गए थे

उस कंपनी का ऋण या दायित्व जिसके निदेशक अपीलार्थी थे। इस प्रकार, ललित कुमार शर्मा (ऊपर) में निर्णय लागू नहीं होता है।

वर्तमान मामला क्योंकि पहले चेक के संबंध में दायित्व और दोषसिद्धि के प्रश्न पर पहले से ही निर्णय था। दूसरी शिकायत को गलत समझा गया क्योंकि पहली शिकायत में मुकदमे को अपने तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया गया था और कोई लंबित दायित्व नहीं बचा था। इस प्रकार, एक ही लेन-देन के संबंध में कोई समानांतर कार्यवाही लंबित नहीं थी। पहली शिकायत समाप्त हो गई थी, जिसके बाद ही अदालत ने कहा कि दूसरी शिकायत शुरू नहीं की जा सकती है। वास्तव में ललित कुमार शर्मा (ऊपर) इस मामले को मजबूत करते हैं कि धारा 138 के तहत एक कानूनी दायित्व से कई अभियोजन उत्पन्न नहीं हो सकते हैं।

एन. आई. अधिनियम और पक्षों को या तो मुकदमे में जाना चाहिए या समझौता करना चाहिए और मामले को निपटाना चाहिए।

43. उपरोक्त निर्णय पर बाद में विचार किया गया है

अरुण कुमार बनाम मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ का बहुत हालिया निर्णय। अनीता मिश्रा 3 0 30। उस मामले में, अपीलार्थी द्वारा प्रतिवादी के खिलाफ धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई थी। न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी ने प्रतिवादी को दोषी ठहराया और छह महीने के कारावास की सजा सुनाई।

और जुर्माने के लिए। आपराधिक अपील के लंबित रहने के दौरान, लोक अदालत के समक्ष एक समझौता किया गया था जिसके संदर्भ में प्रतिवादी ने अपीलार्थी के पक्ष में एक पोस्ट-डेट चेक जारी किया था। चेक को प्रस्तुत करने पर उसका अपमान किया गया और इसके कारण धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज की गई। प्रतिवादी ने शिकायत को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया। आवेदन और पुनरीक्षण को खारिज कर दिया गया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका को इस आधार पर स्वीकार किया कि दूसरी शिकायत को रद्द करने का सवाल तब नहीं उठा जब चेक किसी ऋण या दायित्व के निर्वहन में जारी नहीं किया गया था, बल्कि एक निपटान के कारण जारी किया गया था। ललित कुमार शर्मा (ऊपर) मामले में पहले के फैसले को अलग करते हुए अदालत ने कहाः

" 9. ललित कुमार मामला [ललित कुमार शर्मा बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2008)

5 एससीसी 638: (2008) 2 एस. सी. सी. (सी. आर. आई.) 682] तथ्यों पर अलग है,

कंपनी का दायित्व जिसके बारे में अभियुक्तों को कहा गया था निदेशक। चेक के लिए जारी किया गया था

किसी समझौते पर पहुंचने का उद्देश्य।

10. तत्काल मामले में, प्रतिवादी का स्पष्ट रूप से दायित्व था। के रूप में

ऊपर देखा गया है कि एक पूर्व निर्णय था जो

इसके परिणामस्वरूप प्रतिवादी अभियुक्त को दोषी ठहराया गया। इस प्रकार वहाँ

प्रतिवादी अभियुक्त के दायित्व का निर्णय था। जबकि अपील लंबित थी, मामले को सुलझा लिया गया था

लोक अदालत के दायित्व की स्वीकृति में

प्रत्यर्थी-अपीलार्थी शिकायतकर्ता को अभियुक्त।

11. लोक अदालत के आदेश के अनुसार जारी किया गया चेक,

उनका अपमान भी किया गया। इसने स्पष्ट रूप से एक नए कारण को जन्म दिया

परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई।

(जोर दिया गया)

44. अरुण कुमार (ऊपर) के फैसले में, बाद के चेक में,

धारा 138 के तहत पहले की शिकायत में अपीलार्थी को दोषी ठहराए जाने के बाद, एक समझौते के लिए जारी किया गया था जो पहले किया गया था 30 (2020) 16 एससीसी 118 [2021] 11 एस. सी. आर.

अपील के लंबित रहने के दौरान लोक अदालत। न्यायालय ने ललित कुमार शर्मा (उपरोक्त) मामले में निर्णय को यह ठहराते हुए अलग किया कि लोक अदालत के आदेश के अनुसरण में चेकों के अपमान ने धारा 138 के तहत कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म दिया। इसके अलावा, अदालत को दूसरी शिकायत पर कार्रवाई करने के लिए राजी किया गया क्योंकि पहली शिकायत के परिणामस्वरूप अपराध का स्पष्ट निष्कर्ष निकला था, हालांकि समझौते के कारण कोई सजा नहीं दी गई थी। इस प्रकार, उस ऋण या देयता के अस्तित्व के बारे में कोई संदेह नहीं था जिसके लिए चेक जारी किया गया था। इसलिए, अरुण कुमार (उपरोक्त) में निर्णय इंगित करेगा कि यह प्रश्न कि क्या बाद के चेक का अपमान (उस मामले में लोक अदालत के समक्ष एक समझौते के अनुसार) कार्रवाई के एक नए कारण को जन्म देता है, प्रत्येक मामले में निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है। दूसरे शब्दों में, ललित कुमार शर्मा (उपरोक्त) में पहले के निर्णय को निर्धारित और अपरिवर्तनीय या लचीले सिद्धांत के रूप में नहीं माना जा सकता है कि पहले के चेक के अपमान के बाद निपटान के संदर्भ में बाद में जारी किया गया चेक एक नया दायित्व पैदा नहीं करता है। ललित कुमार शर्मा (ऊपर) का फैसला मामले के तथ्यों के आधार पर किया गया था, जैसा कि वर्तमान फैसले में पहले देखा गया था।

45. उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हमारी राय में, एक बार 12 मार्च 2013 के समझौता विलेख पर सहमति हो जाने के बाद, मूल शिकायत को रद्द कर दिया जाना चाहिए और पक्षों को निपटान समझौते के तहत कानून में उपलब्ध उपायों के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

सी. 2 निपटान समझौते से उत्पन्न होने वाली देयता

46. एक बार जब पक्षों के बीच एक समझौता समझौता हो जाता है, तो पक्ष समझौते की शर्तों से बाध्य होते हैं और इसके किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप नागरिक और आपराधिक कानून में परिणामी कार्रवाई हो सकती है।

47. वर्तमान मामले में, एच. एस. एस. ए. के तहत दायित्व के निर्वहन के लिए कथित रूप से जारी किए गए चेक का पहला सेट था

अपमानित किया। इसके बाद 12 मार्च 2013 को एक समझौता ज्ञापन किया गया। समझौते का विलेख आंशिक रूप से लागू किया गया था रुपये की राशि का भुगतान। 3 शिकायतकर्ता को डिमांड ड्राफ्ट द्वारा करोड़। रुपये की राशि की प्राप्ति पर। 3 गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को मनोज गोयल की जमानत याचिका पर कोई आपत्ति नहीं देनी थी। मनोज गोयल ने रुपये की शेष राशि का भुगतान करने का बीड़ा उठाया। 7 तीन महीने के भीतर किश्तों में करोड़। समझौते के विलेख के अनुसार जारी किए गए चेकों के दूसरे सेट का भी अपमान किया गया था। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने समझौते के विलेख के खंड 9 में संशोधन किया जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि मैसर्स गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v.

मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

रुपये की पूरी निपटान राशि के भुगतान पर। 10 करोड़, आपराधिक शिकायतों सहित सभी कार्यवाही होनी चाहिए

वापस ले लिया। एकल न्यायाधीश को इस आधार पर चेक के दूसरे सेट के आधार पर मनोज गोयल के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए राजी किया गया था कि:

((i)

चूंकि अपमान के लिए एन. आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही चेकों का पहला सेट लंबित था, केवल समझौते के विलेख के आधार पर जारी किए गए चेकों के दूसरे सेट को किसी के निर्वहन के रूप में नहीं माना जा सकता था।

दायित्व; और

((ख)

समझौते के विलेख की वैधता को चुनौती दी गई थी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित वाद में।

48. इन आधारों में से प्रत्येक जो हमारे विचार में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के साथ वजन करता है, गलत है। एक बार सामग्री

एन. आई. अधिनियम की धारा 138 को पूरा किया जाता है, क़ानून स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि

मुकदमा। एकल न्यायाधीश की ओर से धारा 482 के तहत याचिका को इस आधार पर अभियोजन को रद्द करने की अनुमति देने में एक गंभीर त्रुटि थी कि समझौते का विलेख कानूनी रूप से लागू करने योग्य दायित्व का गठन नहीं करेगा। केवल यह तथ्य कि समझौता विलेख की वैधता को चुनौती देने वाला मुकदमा उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, धारा 138 के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए कोई ठोस आधार प्रदान नहीं करेगा। 49. श्री जयंत भूषण, विद्वान वरिष्ठ वकील ने यह आग्रह करने का एक गंभीर प्रयास किया है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 39 के तहत जब अनुबंध करने वाले किसी पक्ष ने अपने वादे को पूरी तरह से पूरा करने से इनकार कर दिया है, तो वादा करने वाले के पास अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प है जब तक कि वह इसके जारी रहने में अपनी सहमति का संकेत नहीं देता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि धारा 138 के तहत कार्यवाही एक नागरिक गलती की प्रकृति में है, हालांकि विधायिका ने आपराधिक प्रतिबंध लगाए हैं। प्रस्तुतिकरण के अनुसार, समझौते का विलेख एक नवीनता का प्रतिनिधित्व करता है। इस तर्क का विस्तार करते हुए, यह आग्रह किया गया था [2021] 11 एस. सी. आर.

कि यह अपीलार्थी ही था जिसने आपराधिक कार्यवाहियों को वापस नहीं लिया और मध्यस्थता के साथ पीछा किया, जिस स्थिति में उसके आचरण को समझौते के खंडन के बराबर माना जाना चाहिए। इस प्रकार, यह आग्रह किया गया है कि अपीलार्थी केवल चेक के पहले सेट के संबंध में देयता को लागू करने पर जोर दे सकता है।

50. हम दो आधारों पर तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर माना गया है, एक निपटान समझौता मूल शिकायत को समाप्त कर देता है और इस प्रकार, यह पक्षकारों, या तो शिकायतकर्ता या अभियुक्त पर निर्भर नहीं है कि वे उस समझौते के प्रभावों को केवल उलट दें और धारा 138 के तहत उसी अंतर्निहित लेनदेन से संबंधित मूल शिकायत को वापस करें। एन. आई. अधिनियम। दूसरा, समझौता विलेख का उल्लंघन उन चेकों के अपमान के कारण हुआ है जो आरोपी द्वारा रुपये की शेष शेष राशि के निर्वहन के लिए जारी किए गए थे। 7 करोड़। इस पृष्ठभूमि में, उच्च न्यायालय के लिए धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कार्यवाही को रद्द करना बहुत दूर की बात थी। इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ ने एच. एम. टी. वॉचेस लिमिटेड बनाम. एम. ए आबिदा 3 1:

" 10. [.....] चेक प्रतिभूति के रूप में दिए गए थे या नहीं, या

बकाया देयता थी या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिसका निर्धारण पक्षकारों के साक्ष्य दर्ज करने के बाद ही निचली अदालत द्वारा किया जा सकता था। हमारी राय में, उच्च न्यायालय को आपराधिक संहिता की धारा 482 के तहत एक याचिका में तथ्य के विवादित प्रश्नों पर अपना विचार व्यक्त नहीं करना चाहिए था

प्रक्रिया, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि अपराध नहीं बनाया गया है। उच्च न्यायालय ने मामले के तथ्यात्मक पहलुओं में जाने में कानूनी रूप से गलती की है जिन्हें दोनों पक्षों के बीच स्वीकार नहीं किया गया था।

पार्टियाँ "।

उपरोक्त सिद्धांत का पालन करते हुए, दो न्यायाधीशों की पीठ का एक और निर्णय सैम्पेली सत्यनारायण राव बनाम। भारतीय अक्षय ऊर्जा

विकास एजेंसी Ltd.³2 ने अभिनिर्धारित कियाः

" 16. जैसा कि इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों से स्पष्ट है, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक रद्द करने वाली याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय

सामान्यतया शिकायत में अभिकथनों के आधार पर आगे बढ़ना होता है। इस स्तर पर अभियुक्त के बचाव पर विचार नहीं किया जा सकता है। खारिज करने के अनुरोध पर विचार करने वाली अदालत निर्णय नहीं देती है

तथ्य के एक विवादित प्रश्न पर "।

32 (2016) 10 एस. सी. सी. 458 एम/एस. गिम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड v. मनोज गोएल [डॉ। धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे।]

51. एन. आई. अधिनियम की धारा 139 इस धारणा को उठाती है, जब तक कि इसके विपरीत यह साबित नहीं हो जाता है कि चेक धारक को चेक प्राप्त होता है।

धारा 138 में किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक निर्वहन के लिए निर्दिष्ट प्रकृति। कुमार एक्सपोर्ट्स बनाम में धारा 139 के प्रावधानों की व्याख्या करना। शर्मा कार्पेट्स 3 3 इस न्यायालय ने कहा हैः

" 18. अधिनियम की धारा 118 और 139 के प्रावधानों के लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 में "सिद्ध" शब्द की परिभाषा को लागू करते हुए, यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 138 के तहत एक परीक्षण में यह अनुमान लगाना होगा कि प्रत्येक परक्राम्य लिखत को विचार के लिए बनाया गया था या तैयार किया गया था और यह कि परक्राम्य लिखत के निष्पादन के साबित होने या स्वीकार किए जाने के बाद इसे ऋण या दायित्व के निर्वहन के लिए निष्पादित किया गया था। जैसे ही शिकायतकर्ता यह साबित करने के लिए बोझ का निर्वहन करता है कि दस्तावेज़, एक नोट के अनुसार, आरोपी द्वारा निष्पादित किया गया था, अधिनियम की धारा 118 और 139 के तहत अनुमान के नियम उसे आरोपी पर बोझ डालने में मदद करते हैं। अनुमान जीवित रहेंगे, अस्तित्व में रहेंगे और जीवित रहेंगे और केवल तभी समाप्त होंगे जब इसके विपरीत अभियुक्त द्वारा साबित किया जाएगा, अर्थात, चेक किसी भी ऋण या दायित्व के भुगतान के लिए जारी नहीं किया गया था। एक अनुमान अपने आप में सबूत नहीं है, बल्कि केवल एक पक्ष के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाता है जिसके लाभ के लिए यह मौजूद है।

19. अधिनियम की धारा 118 में "जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता" वाक्यांश का उपयोग और अधिनियम की धारा 139 में "जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता" शब्दों का उपयोग "मान सकते हैं" की परिभाषाओं के साथ पढ़ा जाता है।

यह दिखाने के लिए निष्पक्ष और यथोचित रूप से प्रस्तुत साक्ष्य कि वास्तविक तथ्य उतना अनुमानित नहीं है, अनुमान का उद्देश्य है - ऊपर "।

52. अदालत ने कहा कि आरोपी यह साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य पेश कर सकता है कि विचाराधीन चेक विचार द्वारा समर्थित नहीं था

और यह कि कोई ऋण या देयता नहीं थी जिसका भुगतान किया जाना था। अनुमान को गलत साबित करने के लिए, अभियुक्त को उन परिस्थितियों को दर्ज करना होगा जो अदालत को यह विश्वास हो सकता है कि प्रतिफल और ऋण नहीं था

33 (2009) 2 एससीसी 513 [2021] 11 एस. सी. आर.

या यह इतना संभव था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति इस दलील पर कार्य करेगा कि वे मौजूद नहीं थे। इन निर्णयों को स्वीकार करने के बाद, दो न्यायाधीशों की पीठ ने किशन राव बनाम. शंकरगौड़ा 3 4 34 ने उस मामले में उल्लेख किया किः

" 21. वर्तमान मामले में, निचली अदालत के साथ-साथ अपीलीय अदालत ने पाया कि चेक में आरोपी के हस्ताक्षर हैं और यह अपीलार्थी को बैंक में पेश करने के लिए दिया गया था, धारा 139 के तहत धारणा सही थी जिसका आरोपी ने खंडन नहीं किया था। अभियुक्त ने उपरोक्त अनुमान का खंडन करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया था। अभियुक्त ने भी नहीं किया उसके मामले का समर्थन करने के लिए गवाह बॉक्स में आएं। अपीलार्थी द्वारा दिए गए नोटिस के जवाब में, अभियुक्त ने बचाव पक्ष को बताया कि चेक अपीलार्थी द्वारा चुराया गया था। उक्त बचाव पक्ष को निचली अदालत ने अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने के बाद खारिज कर दिया था, जिसके संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा भी कोई विपरीत विचार व्यक्त नहीं किया गया है।

53. धारा 139 इस धारणा को उठाती है "जब तक कि इसके विपरीत न हो

साबित हुआ "। एक बार जब शिकायतकर्ता यह साबित करने का बोझ छोड़ देता है कि उपकरण को आरोपी द्वारा निष्पादित किया गया था, तो धारा 139 के तहत अनुमान आरोपी पर बोझ डाल देता है। "जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता" अभिव्यक्ति यह प्रदर्शित करेगी कि मुकदमे में केवल अभियुक्त को ऐसे तथ्यों या परिस्थितियों का साक्ष्य प्रस्तुत करना है जिसके आधार पर बोझ निर्वहन किया जाएगा। ये साक्ष्य और मुकदमे के मामले हैं। जैसा कि अरुण कुमार (ऊपर) में कहा गया है और ऊपर चर्चा की गई है, यह निर्धारित करना कि क्या एक चेक एक समझौते के अनुसार है।

कानूनी दायित्व से उत्पन्न होने वाला समझौता विभिन्न कारकों पर निर्भर करेगा, जैसे कि अंतर्निहित निपटान समझौता, मूल लेनदेन की प्रकृति और क्या दायित्व के निष्कर्ष पर कोई निर्णय।

मूल शिकायत, अभियुक्त द्वारा उठाए गए बचाव आदि पर पहुँचा गया था। एकल न्यायाधीश ने आपराधिक शिकायत को एक प्राथमिक तर्क पर रद्द करने की कार्यवाही में गलती की थी कि समझौते के विलेख के अनुसरण में जारी किए गए चेक का दूसरा सेट दायित्व के निर्वहन में नहीं था और उस आधार पर धारा के तहत कार्यवाही को रद्द करने के लिए आगे बढ़ रहा था। 482 सीआरपीसी। केवल यह तथ्य कि मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष समझौते के विलेख को चुनौती देते हुए एक मुकदमा दायर किया गया है, प्रस्तुत नहीं करेगा

धारा 482 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए औचित्य। द डीड

समझौता तब तक वैध रहेगा जब तक कि इसे दरकिनार करने वाली उपयुक्त अदालत की डिक्री पारित नहीं हो जाती। उच्च न्यायालय, जैसा कि हमने समझाया है

54. अपीलार्थियों द्वारा एक प्रस्तुति का आग्रह किया गया था कि यदि दूसरी शिकायत गैर-रखरखाव योग्य पाई जाती है और समझौता किया जाता है विलेख को अमान्य माना जाता है, उन्हें बिना उपचार के छोड़ दिया जाएगा और इस प्रकार, पहले मुकदमे को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम इसमें कोई योग्यता नहीं पाते हैं।

प्रस्तुत करना। यदि समझौता विलेख जबरदस्ती के कारण शुरू से ही अमान्य पाया जाता है, तो पहली शिकायत को रद्द करने का आधार हटा दिया जाता है क्योंकि समझौता समझौता कभी मौजूद नहीं माना जाता है और इसलिए इसका पहली शिकायत के तहत मौजूद दायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अपीलार्थी तखन सक्षम व्यक्ति सँ सम्पर्क कऽ सकैत छथि।

मूल शिकायत की बहाली के लिए अदालत और मुकदमा उसी आधार पर आगे बढ़ सकता है।

डी निष्कर्ष

55. उपरोक्त कारणों से हम निम्नलिखित आदेश पारित करते हैं:

(i) हमारा विचार है कि एकल न्यायाधीश ने सातवें महानगर मजिस्ट्रेट, चेन्नई की फाइल पर लंबित शिकायत सी. सी. सं. 389/2017 को रद्द करने में गलती की थी। शिकायत को रद्द करने वाले एकल न्यायाधीश का निर्णय निर्धारित किया गया है

एक तरफ;

((ख)

उपरोक्त खंड सी. 1 में हमारे विश्लेषण के आधार पर, हम एतद्द्वारा

2012 की शिकायत सी. सी. Nos.3326-3329 और सी. सी.

नं. 99-101 2013 से।

56. जहां तक सहयोगी अपील का संबंध है, हम पहले ही श्री जयंत भूषण की इस दलील पर ध्यान दे चुके हैं कि क्या

लेन-देन बिक्री नहीं था या अन्यथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत कार्यवाही के दौरान जांच नहीं की जा सकती थी। मुकदमे के दौरान पक्षों के सभी अधिकारों और तर्कों को खुला रखा जाता है। तदनुसार 2019 की एस. एल. पी. (आपराधिक) संख्या 6564 और आपराधिक अपील संख्या से उत्पन्न 2021 की आपराधिक अपील संख्या 1068। 1069-1075 2019 की एस. एल. पी. (आपराधिक) Nos.7632-7638 से उत्पन्न 2021 की उपरोक्त शर्तों में आंशिक रूप से अनुमति होगी।

57. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

अपीलों को

आंशिक रूप से अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे